राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 160/2012/भीलवाड़ा

मैसर्स बाहेती सिलिकोन्स एण्ड मेटल्स प्रा0 लिमि., भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, वृत–प्रतिकरापवंचन, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी. एम. चौपड़ा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24/02/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 76/वैट/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.12.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.08.2011 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2011 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आर.जे.06/जीए–6367 को चैक किये जाने पर वाहन में अहमदाबाद से भीलवाड़ा के लिये 'तांबा स्क्रेप' परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स बी.आर. मेटल अलॉयज (गुज.) प्रा0 लि0, अहमदाबाद का डिलीवरी चालान संख्या 10 दिनांक 23.08.2011, इन्वॉयस संख्या EX-422 दिनांक 23.08.2011 एवं जी.आर. संख्या 12596 दिनांक 23.08.2011 प्रस्तुत किये गये। परिवहनित माल 'तांबा स्क्रेप' अधिसूचित माल की श्रेणी में होने के कारण, इसके परिवहन के दौरान घोषणा–पत्र वैट–47 संलग्न होना अनिवार्य है, जो वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से वाहन चालक/माल प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी

मनोहर पुरी

लगातार.....2

द्वारा दिनांक 27.08.2011 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए, उसे पक्षकार बनाते हुए कार्यवाही किये जाने का कथन किया तथा साथ ही निवेदन किया कि उनके द्वारा पूर्व में ही वैट–47 संख्या 8522485 विक्रेता व्यवहारी को भिजवा दिया गया था, जो त्रुटिवश ट्रांसपोर्ट कम्पनी में ही रह गया। माल 'सी' फॉर्म के समर्थन से क्रय किया गया था। उक्त कथन के साथ माल व वाहन छोड़ने का निवेदन किया गया। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब व घोषणा–पत्र को पश्चातवर्ती सोच का परिणाम मानते हुए, अस्वीकार कर दिया एवं वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 27.08.2011 को पारित करते हुए शास्ति रूपये 7,52,812/– का आरोपण किया।

3. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2011 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा घोषणा–पत्र वैट–47 विक्रेता व्यवहारी को संव्यवहार से पूर्व को भरकर भिजवा दिया गया था। विक्रेता व्यवहारी द्वारा भी स्वयं का भाग पार्ट–'ए' भरकर ट्रांसपोर्ट कम्पनी को दे दिया गया था, किन्तु ट्रांसपोर्ट कम्पनी अथवा वाहन चालक की त्रुटि से घोषणा–पत्र ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर ही रह गया, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रथम कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रस्तुत कर दिया गया। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611** में प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना हो जाती है। अग्रिम कथन किया कि उनके द्वारा माल का आयात 'सी' फॉर्म के समर्थन से किया गया है, माल का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। प्रकरण में उनकी किसी प्रकार की करचोरी की मंशा नहीं थी। इसके बावजूद सक्षम अधिकारी ने घोषणा–पत्र को अस्वीकार करते हुए शास्ति आरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि की है। अग्रिम कथन किया कि प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही जांच अधिकारी द्वारा की गई है, जबकि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना दिनांक 7.8.2009 सपठित अधिसूचना दिनांक 31.03.2011 के द्वारा विभागीय अधिकारियों को यह यह निर्देशित किया गया है कि "Prosecutor should not be a Judge". यह भी कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 24.08.2011 को वेट अधिनियम की धारा 76(5) के तहत वाहन को निरूद्ध किये जाने के पश्चात प्रकरण में किसी प्रकार की अग्रिम जांच नहीं की गई है। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों की पूर्णतः अवहेलना की गयी है।

लगातार.....3

अपीलीय अधिकारी द्वारा भी सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में त्रुटि की गई है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मैसर्स डी. पी. मेटल्स** का हवाला देते हुए अपीलार्थी व्यवहार की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच अधिसूचित श्रेणी के माल से सम्बन्धित घोषणा–पत्र वैट 47 संलग्न नहीं था, ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वैट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए शास्ति का आरोपण पूर्णतः विधिक रूप से किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति की समुचित रूप से व्याख्या करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। अग्रिम कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई दस्तावेज किसी कारणवश वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया जा सका है तो वह प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय न्यायालय का यह आशय कतई नहीं है कि जो दस्तावेज वक्त जांच अस्तित्व में ही नहीं हो, वह नोटिस की पालना में नया बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में तैयार किया गया घोषणा–पत्र वैट–47 स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मैसर्स डी. पी. मैटल्स** का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 24.08.2011 को वक्त जांच विवादित माल 'तांबा स्क्रेप' से सम्बन्धित घोषणा–पत्र वैट–47 संलग्न नहीं पाया गया। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों की अवहेलना मानते हुए, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी

लगातार..... 4

व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा–पत्र वैट–47 संख्या 8522485 संलग्न करते हुए निवेदन किया गया कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज पूर्व में ही विक्रेता व्यवहारी को भिजवा दिया गया था, किन्तु त्रुटिवश ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर रह गया, जो कारण बताओ नोटिस की पालना में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

8. कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा जारी की जाने वाली जी.आर. पर क्रेता व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत घोषणा–प्रपत्रों के नम्बर का इन्द्राज किया जाता है, जैसा कि इस प्रकरण में भी वक्त जांच किसी अन्य व्यवहारी (श्री महावीर ग्राम उद्योग संस्थान) से सम्बन्धित जी.आर. संख्या 12576 में वैट–47 का नम्बर लिखा हुआ है। किन्तु ना तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एवं ना ही अपीलीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर गौर किया गया है कि बिल्टी संख्या 12576 पर जो वैट–47 का नम्बर 8522485 का अंकन किया गया है, वह हस्तगत प्रकरण से ही सम्बन्धित वैट–47 का क्रमांक (8522485) है, जो कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त वैट–47 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं का पार्ट–ए पूर्ण रूप से मय मोहर के दिनांक 18.08.2011 को भरा जाकर विक्रेता व्यवहारी को प्रेषित किया गया है, इसके पश्चात विक्रेता व्यवहारी द्वारा उसका पार्ट–बी पूर्ण रूप से भरा जाकर मय मोहर के ट्रांसपोर्टर को दिया गया है, ट्रांसपोर्टर द्वारा भी उसका पार्ट–सी पूर्ण रूप से भरा जाकर मोहर अंकित की गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा–पत्र वैट–47 क्रमांक 8522485 संव्यवहार से पूर्व ही विक्रेता व्यवहारी को भिजवा दिया गया था तथा विक्रेता व्यवहारी द्वारा भी ट्रांसपोर्टर को दे दिया गया था, किन्तु भूलवश ट्रांसपोर्ट कम्पनी पर ही छूट गया, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रथम उपलब्ध अवसर पर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी. पी. मैटल्स** में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> ".....Once the ingredients of section 78(5) are established, after giving a hearing and complying with the principles of natural justice, there is no discretion not to levy or levy lesser amount of penalty. If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same."

लगातार.....5

9. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं0 212/2012 मैसर्स विडियोकोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2014** में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

> "The ratio of the judgment in the case of D.P. Metals (supra) is clear. It is that where goods in transit are found to be unaccompanied by any material document required under Section 78(2) of the 1994 Act, on show cause notice being issued in respect therefore if such document is supplied filling up the lacuna, no penalty would be leviable. The Hon'ble Supreme Court has not defined the nature of mistake which alone would be rectifiable by submitting the required documents with the reply to show cause notice. As long as the missing document, in this case as the declaration form ST-18-A, was furnished with the reply to show cause notice, it ought to have sufficed."

10. उक्त निर्णय से यह स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स डी.पी.मैटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कारण बताओ नोटिस की पालना में दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि वक्त जांच किसी कारणवश उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट—47 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होते हुए भी अस्वीकार किये जाने में त्रुटि की गयी है।

11. सक्षम अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि जांच दिनांक 24.8.2011 को लिखी गई आदेशिका से लेकर पत्रावली में आंकित अन्तिम आदेशिका दिनांक 15.9.2011 एक ही व्यक्ति की हस्तलिपि में लिखी गयी है। सक्षम अधिकारी द्वारा केवल हस्ताक्षर किये गये हैं। सक्षम अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध नोटिसेज भी उसी हस्तलिपि में जारी किये गये हैं। इस प्रकार विभागीय अधिसूचना दिनांक 7.8.2009 सपठित अधिसूचना दिनांक 31.3.2011, जिनमें यह निर्देश दिये गये हैं कि धारा 76 के तहत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा बनाये गये प्रकरणों को उचित माध्यम से सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी स्तर के अधिकारी को स्थानान्तरित करेंगे तथा सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी अभियोग बनाने वाले अधिकारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण करेंगे। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना होना नहीं माना जा सकता। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि "Prosecutor should not be a Judge" अतः सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों तथा विभागीय अधिसूचनाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए पारित किये गये आदेश को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

लगातार.....6

12. अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.12.2011 के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर विस्तृत रूप से विवेचना करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया गया है, किन्तु गहनता से अध्ययन किये जाने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का विवादित आदेश यथावत टंकित करवाया गया है, इसके पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस को टंकित करवाया गया है, तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी की आदेशिकाओं को यथावत टंकित करवाया गया है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं दिनांक 07.08.2009 को यथावत टंकित करवाया गया है। किन्तु प्रकरण के मुख्य तथ्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611** की भावना को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलीय आदेश को विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

13. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए, हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी. पी. मैटल्स** में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संव्यवहार से पूर्व अस्तित्व में मौजूद घोषणा–पत्र वैट–47 संख्या 8522485 सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। इसके बावजूद सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेज को अस्वीकार करते हुए, वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए, सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

14. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 01.12.2011 एवं सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 27.08.2011 अपास्त किये जाते हैं।

15. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 07.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य